

एड्वीस-२ सचिवालय

विषय:

माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के समक्ष प्रस्तुत कम्पनी पिटीशन क्रमांक-16/2015 मेसर्स जुग्गीलाल कमलापत जूट मिल्स कम्पनी लिमिटेण्ड लि. कानपुर विरुद्ध मध्यप्रदेश व अन्य ।

— 00 —

का विभाग

पंजी क्रमांक 367/2016/29-2 दिनांक 29.01.2016

डिप्टी रजिस्ट्रार मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा प्रेषित नोटिस/याचिका।

उपरोक्त विषयाकित नोटिस/याचिका का कृपया अवलोकन करें।

प्रश्नाधीन कम्पनी याचिका मध्यप्रदेश स्टेट सिविल साप्लाईज कार्पोरेशन द्वारा याचिकाकर्ता को उनके बकाया राशि रुपये 1649520/- के भुगतान नहीं करने के संबंध में दायर की गई है।

उक्त याचिका में उठाये गये बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर तैयार करवाकर उसी माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर में प्रस्तुत किये जाने हेतु प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति की जाना है।

यदि मान्य हो तो उक्त याचिका में शासन की ओर से महाप्रबंधक, (उर्पाजन) मध्यप्रदेश स्टेट सिविल साप्लाईज कार्पोरेशन भोपाल को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जाना प्रस्तावित है।

अ.ज. (आयकर/पर)

अ.ज.

'A' छुपाना अनुमोदनार्थ

D.S.

S.O. II

SCSC से प्रस्ताव प्राप्त करें।

(मंदा सेठ)

अवर सचिव, खाद्य विभाग

10/1/16

31/1/16

4/2/16

श्री मंत्री

P-1-25/C

A

9 जन/16

354/SC/2016
31/2/16

2-
सा. 0 मंजी
स्था. 0.4

एफ 7-28/2016/29-2

छब्बीस-२ सचिवालय

विषय:

माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के समक्ष
प्रस्तुत कम्पनी पिटीशन क्रमांक-16/2015 मेसर्स
जुगगीलाल कमलापत जूट मिल्स कम्पनी लिमिटेड लि.
कानपुर विरुद्ध मध्यप्रदेश व अन्य ।

का विभाग

—00—

पूर्व पृष्ठ से:-

P-1/N पर दिखे गये निदेश
के प्रकाश में M. SCSC कोषाल को
लिखते जान टाले पर भी F/C हस्ता.
प्रस्तुत है ।

S. 0.1

8/2/16

अ. स. 0.1

S. 0.1

8/2/16

8/2

जबलपुर प्रवेश शासन
द्वारा नामांकित अपूर्ण तथा
उपस्थित 1

जा. क. 39.4

दिनांक 8/2/16

8/2/16

20

छब्योस-२ सचिवालय

विषयीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के समक्ष प्रस्तुत कम्पनी पिटीशन क्रमांक-16/2015 मेसर्स जुग्गीलाल कमलापत जूट मिल्स कम्पनी लिमिटेड लि. कानपुर विरुद्ध मध्यप्रदेश व अन्य ।

—00—

पूर्व पृष्ठ से:-

पंजी क्रमांक 640/2016/29-2 दिनांक 17-2-16

महाप्रबंधक, मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 15.02.2016

उपरोक्त विचाराधीन पत्र का अवलोकन इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 09.02.2016 के संदर्भ में करें।

लेख किया गया है कि कार्पोरेशन की ओर से उक्त प्रकरण में प्रतिरक्षण की कार्यवाही हेतु क्षेत्रीय प्रबंधक जबलपुर को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है।

अतः कार्पोरेशन द्वारा शासन की ओर से भी उक्त प्रकरण में क्षेत्रीय प्रबंधक जबलपुर को ही प्रभारी अधिकारी नियुक्त करने का अनुरोध किया है।

अतः मान्य हो तो कार्पोरेशन के प्रस्ताव अनुसार उक्त प्रकरण में क्षेत्रीय प्रबंधक जबलपुर को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जाना उचित होगा।

अ.अ.

प्रमुख

कृपया 'A' अनुमोदनार्थ।

D/S

कृपया 'A' अनुमोदनार्थ।

प्रमुख/सचिव

अ.अ.

अ.अ.

अ.अ.

17/2/16

18/2/16

19/2/16

(बी.के. चन्देल)
उप सचिव, खाद्य विभाग

23/2

23/2

24/2

311
DATE: 23.2.16

4-
साठमंशी
रणाप्य

विषय :

माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के समक्ष प्रस्तुत
कम्पनी पिटीशन क्रमांक-16/2015 मेसर्स जुग्गीलाल कमलापत
जूट मिल्स कम्पनी लिमिटेड लि. कानपुर विरुद्ध मध्यप्रदेश व
अन्य ।

का विभाग

—00—

पूर्व पृष्ठ सें:-

P-3/N पर अनुक्रमांक अनुसार
उक्त प्रकरण में R.M. M.P. 8088
जबलपुर को प्रकारी अधिकारी नियुक्त
करने संबंधी आदेश की HC हस्ता-
प्रस्तुत है।

8088
26/2/16
S.O.

26/2/16

26/2/16

26/2

27/2/16

27/2/16

मध्य प्रदेश शासन
राज्य न्यायिक अधिकारी कार्यालय
संपादन क्रमांक-2)
जा. 66/5-16/29-21
दिनांक 27/02/2016

छब्वीस-२ सचिवालय

का विभाग

विषय: माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के समक्ष प्रस्तुत कम्पनी पिटीशन क्रमांक-16/2015 मेसर्स जुग्गीलाल कमलापत जूट मिल्स कम्पनी लिमिटेड लि. कानपुर विरुद्ध मध्यप्रदेश व अन्य ।

—00—

पूर्व पृष्ठ से:-

P-4/N पर उक्त प्रकरण में प्रचारी अधिवारी की नियुक्ति व संबंधितां का आवेदन जारी कर दिए गए हैं।

2. उक्त प्रकरण में दाखल हुए पक्ष में प्रतिस्पर्धा का आवेदन जारी किए जाने हेतु नस्ति Low Depth अंकित की जाना प्रस्तावित है।

S.O.A.
अध्यक्ष

4/3/16

D.S.
विधि विभाग

4/3/16
(मंदा. रोहरे)
अवर सचिव, खाद्य विभाग

4/3/2016
(वी.ए. चन्देल)
उप सचिव, खाद्य विभाग

4/3
40-11/16/292
8/3/16

7/7/16

का. मा. मं. जी
10-3-16

P-28-30/c

FT-28/2016/29-2

विषय : कंपनी पेटिशन क्रमांक 16/2015
मैसर्स जुगलीलाल तुमलापत अल
मिल्ल कंपनी लिमिटेड लि. वानपुर
लिडर साहय प्रदेस शासन व डक्या

पूर्ण पत्रः

मध्यप्रदेश शासन
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय,
वल्लभ भवन, भोपाल

28

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 27.2. 2016


क्रमांक: एफ 7-28/2016/29-2 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 (1908 का अधिनियम संख्यांक-5) के आदेश सत्ताईस के नियम-1 तथा 2 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य शासन द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के समक्ष प्रस्तुत कम्पनी पिटीशन क्रमांक 16/2015 मेसर्स जुग्गीलाल कमलापत जूट मिल्स कम्पनी लिमिटेड कानपुर विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन व अन्य में क्षेत्रीय प्रबंधक, म.प्र. स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन जिला- जबलपुर (पदनाम) के विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन के लिये तथा उनकी ओर से प्रभारी अधिकारी के लिये एवं कार्य करने और उप संजात होने के लिये नियुक्त करते हैं, प्रभारी अधिकारी को यह आदेश दिया जाता है कि मध्यप्रदेश विधि और विधायी कार्य विभाग के नियमावली में वर्णित कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों के अतिरिक्त वह अपने नियुक्ति के तुरंत पश्चात अन्य बातों के साथ ऐसी रीति में जिसके ब्यौरे नीचे दिये गये हैं निम्नलिखित कार्य करेंगा:-

1. प्रभारी अधिकारी मामले के तथ्यों के बारे में तुरन्त ऐसी जांच करेगा जैसा कि आवश्यक हो और याचिका में उठाये गए समस्त बिन्दु का पैरा अनुसार उत्तर देते हुए और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए जिनसे कि उस मामले के संचालन में महाधिवक्ता/शासकीय अभिभाषक को सहायता पहुँचाने की संभावनाएँ हैं, रिपोर्ट तैयार करेगा। यदि किसी प्रक्रम पर विधि विभाग से परामर्श किया गया था तो उस विभाग की राय भी रिपोर्ट में विनिर्दिष्ट रूप से निर्दिष्ट की जाएगी।
2. समस्त सुसंगत फाईले, दस्तावेज, नियम अधिसूचनाएँ तथा आदेश एकत्रित करेगा।
3. वाद पत्र/याचिका में उठाए गए समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुए और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए जिनसे कि शासकीय अभिभाषक को सहायक पहुँचाने की संभावनाएँ हैं, एक रिपोर्ट तैयार करेगा।
4. उक्त रिपोर्ट तथा सामग्री के साथ शासकीय अभिभाषक से संपर्क करेगा।
5. शासकीय अभिभाषक की सहायता से लिखित कथन उत्तर तैयार करवायेगा।
6. प्रभारी अधिकारी निम्नलिखित कागज/पत्र भेजेगा :-
 - (क) वाद-पत्र एक प्रति के साथ सरकार की एक रिपोर्ट।
 - (ख) प्रस्तावित लिखित कथन का एक प्रारूप।
 - (ग) उन दस्तावेजों की एक सूची जिन्हे साक्ष्य स्वरूप फाईल करना प्रस्तावित है और जिनकी प्रस्तुती रिपोर्ट में अपेक्षा की गई है।
 - (घ) मामले के विशुद्धिकरण के लिए आवश्यक कागज पत्रों की प्रतियाँ जिस पर वाद की सुनवाई की तारीख भी वर्णित होनी चाहिये।
7. मामले की तैयारी और संचालन करने में शासकीय अभिभाषक को सहयोग करना और मामलों उसके प्रक्रम और प्रगति से नियत किए गए कर्तव्यों से स्वयं को सदैव ही अवगत रखना।

29

8. जब भी कोई आदेश/निर्णय विशिष्टतया म.प्र. राज्य के विरुद्ध पारित किया जाता है, तब विधि विभाग को सूचित करना उसकी प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिए उसी दिन या आगामी कार्य दिवस को आवेदन करना।
9. अपनी रिपोर्ट के साथ आदेश/निर्णय की प्रमाणित प्रति तथा शासकीय अधिवक्ता की राय अगली कार्यवाही किए जाने के लिए इस विभाग को भेजेगा।
10. यह देखना की आवेदन करने में तथा प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने में, रिपोर्ट बनाने में, राय प्राप्त करने और उसकी सूचना देने में समय नष्ट नहीं हो।
11. जैसे ही उसे अपना स्थानान्तरण आदेश प्राप्त होता है। वह अर्धशासकीय पत्र के माध्यम से तत्काल जानकारी देगा। वह वर्तमान पद का भार सौंप देने के पश्चात तब तक प्रभारी बना रहेगा, जब तक कि अन्य प्रभारी की नियुक्ति न कर दी जाए।
12. प्रभारी अधिकारी मामले तैयार करने में शासकीय अधिवक्ता को हर संभव सहयोग देगा तथा इस बात के लिये उत्तरदायी जो कि कोई महत्वपूर्ण तथ्य या दस्तावेज अप्रकटित/छुपी हुई न रह जाए।
13. प्रभारी अधिकारी या लोक अभियोजक यदि मुकर्रर है तो वह जैसे ही वाद का विनिश्चय होता है, परिणाम की रिपोर्ट विभागाध्यक्ष के माध्यम से सरकार को करेगा, निर्णय की एक प्रति अभिप्राप्त की जाए और रिपोर्ट के साथ भेजी जाए।
14. प्रभारी अधिकारी या लोक अभियोजक यदि मुकर्रर है तो वह इस बात के लिए उत्तरदायी होगा कि उन मामलों में जहाँ किसी वाद के प्रक्रम में पारित किए गए किसी अंतरिम आदेश पुनरीक्षण अपेक्षित है। समय पर कार्यवाही की गई है। अतएव वह उस आदेश की प्रति जैसे ही वह पारित किया जाए। विभागाध्यक्ष के माध्यम से अपनी अनुशंसा के साथ सरकार प्रशासकीय विभाग को अग्रेषित करें।
15. न्यायालय द्वारा प्रकरण में अंतिम रूप से आदेश पारित किये जाने पर प्रभारी अधिकारी का कर्तव्य होगा कि वह तत्काल आदेश का अध्ययन कर उन बिन्दुओं को अलग से छाटे जिन पर कार्यवाही की जाकर पालन प्रतिवेदन किस विनिर्दिष्ट दिनांक तक न्यायालय को किया जाना है तत्पश्चात प्रभारी अधिकारी लिखित में शासन को अथवा उस सक्षम अधिकारी का जहां से आवश्यक कार्यवाही की जाना है, ध्यान आकर्षित करायेगा एवं निश्चित समयावधि में न्यायालय के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करायेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार


(मंदा राठौर)
अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग



(3)

पृ.क. एफ 7-28 / 2016 / 29-2

भोपाल, दिनांक 27-2-2016

प्रतिलिपि :-

- 1- महाधिवक्ता, म.प्र. उच्च न्यायालय जबलपुर म.प्र.।
- 2- प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल।
- 3- आयुक्त, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण म.प्र. भोपाल।
- 4- प्रबंध संचालक, म.प्र. स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन, भोपाल।
- 5- क्षेत्रीय प्रबंधक, म.प्र. स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन, जबलपुर की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि आप बिना विलम्ब के प्रकरण से संबंधित आवश्यक अभिलेखो/जानकारी इत्यादि के साथ महाधिवक्ता कार्यालय में संबंधित शासकीय अधिवक्ता से संपर्क कर उनके मार्गदर्शन में उक्त याचिका का प्रत्यावर्तन तैयार कर उसे माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हुये उससे इस विभाग को अवगत करावें।

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

Xi-HC--86

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर
प्रत्यर्थी को पत्र रूप में सूचना

Process Id: 199554/2015

प्रेषक

डिप्टी रजिस्ट्रार

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश,
जबलपुर।

u/admission

क्रमांक Comp 16/15

Respondent No. 1

Fixed for 03-02-2016

By- RAD

प्रति,

The State Of Madhya Pradesh,
Through Principal Secretary, Department
Of Food And Civil Supplies, Mantralaya,
Vallabh Bhawan,
District- Bhopal (MADHYA PRADESH)

जबलपुर, 15-12-2015

विषय :- Service of Notice COMP/16/2015, में प्रत्यर्थी क्रमांक 1 को सूचना।

महोदय,

मुझे आपको यह सूचित करने को निर्देशित किया गया है कि अपीलार्थी ने क्रमांक सन् में न्यायालय , Not Mention () के निर्णय दिनांक के विरुद्ध इस न्यायालय में अपील (प्रतिलिपि संलग्न) फाइल की है और COMP/16/2015 रूप में इस न्यायालय में पंजीयित कर ली गई है।

अपील में 2-PETITIONS U/S 101,391,394,439,583 OR 584 OF THE COMPANIES ACT, 1956 रुपये का दावा किया है।

अतएव सूचित हो कि अपीलार्थी ने ऊपर वर्णित अपील प्रस्तुत की है और यह कि इसके लिये इस न्यायालय द्वारा दिनांक 03-02-2016 आपकी सुनवाई/उपस्थिति का दिनांक नियत किया गया है। प्रत्याक्षेप यदि कोई हो, तो वह इस सूचना की प्राप्ति के दिनांक से एक माह के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिये।

आप उस दिनांक को तैयार रहें किन्तु यदि न्यायालय के कार्यवश अपील की सुनवाई उस दिनांक को न हो सके तो उसे उसके बाद यथासाध्य शीघ्र न्यायालय के समक्ष रखा जायेगा। यदि आपकी ओर से आप स्वयं, आपका वकील या इस अपील में आपके लिए कार्य करने हेतु विधिवत् प्राधिकृत कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं होता है तो इसकी अनुपस्थिति में सुनवाई की जावेगी और निर्णय दे दिया जावेगा।

आप इस बात से भी सूचित हों कि अपील से संबंधित निचले न्यायालय के अभिलेख इस न्यायालय में प्राप्त हो चुके हैं और वे निरीक्षण के लिये उपलब्ध हैं। आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप दिनांक 03-02-2016 को या उसके पूर्व ऐसे कागजातों और दस्तावेजों की, जो आप अपने खर्च पर कागजात पुस्तक में शामिल करवाना चाहते हों, एक सूची तैयार करके परिदत्त कर दें। वह आवश्यक नहीं है कि आप सूची में उन कागजातों तथा दस्तावेजों का उल्लेख करें जिनका शामिल किया जाना इस न्यायालय के नियमों के अधीन बाध्यकर है।

सूची निम्नलिखित फार्म में होना चाहिये :-

कागज का विवरण (दिनांक सुभेदक चिह्न तथा पृष्ठ संख्या) (1)	संपूर्ण या कोई भाग शामिल किया जाना है (यदि भाग हो तो उल्लेख करें) (2)	कागजात पुस्तक का पृष्ठ (कार्यालय में भरा जाय) (3)

निवेदन है कि आप इस पत्र की अभिस्वीकृति भेजें। :-

सहपत्र :- अपील के कारणों की प्रतिलिपि।

मुद्रा



भवदीय

डिप्टी रजिस्ट्रार

68/25/1